


हरियाणा

उत्तर



हरियाणा का प्रोफाइल

हरियाणा 21 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके आठ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। **परिशिष्ट 1.1** में इंगित किए गए अनुसार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कम गरीबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर 573 व्यक्ति) अखिल भारतीय घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति) से उच्चतर था। राज्य ने पिछले दशक में महत्त्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि दर्ज की तथा 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि हेतु इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की कम्पाउंड वृद्धि दर 16.42 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 2011 में 2.54 करोड़ तक 19.90 प्रतिशत तक बढ़ गई।

इसकी उच्चतर जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर तथा कम जनसंख्या के कारण चालू दशक में हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से बेहतर रही।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय 2010-11 के दौरान हरियाणा राज्य सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित बदलावों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की **परिशिष्ट 1.2 भाग क** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का ले-आऊट **परिशिष्ट 1.2 भाग ख** में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के आकलन के लिये अपनाई गई पद्धति तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित मानक/सीलिंग्स **परिशिष्ट 1.3 भाग क** तथा **ख** में दिए गए हैं।

1.1.1 चालू वर्ष के वित्तीय सम्पादनों का सार

गत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय सम्पादनों का सार **तालिका 1.1** में प्रस्तुत किया गया है। **परिशिष्ट 1.5 भाग क** तथा **ख** 2010-11 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के अतिरिक्त प्राप्तियों एवं सवितरणों के विवरण प्रदान करता है। वर्ष 2010-11 के लिए तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.), राजकोषीय सुधार पथ (एफ.सी.पी.) तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (एम. टी. एफ. पी.एस.) के निर्धारण/प्रक्षेपणों के विवरण **परिशिष्ट 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(` करोड़ में)

2009-10	प्राप्तियां	2010-11	2009-10	संवितरण	2010-11		
					योजनेतर	योजनागत	कुल
भाग - क : राजस्व							
20,992.66	राजस्व प्राप्तियां	25,563.67	25,257.39	राजस्व व्यय	22,058.68	6,251.51	28,310.19
13,219.50	कर राजस्व	16,790.37	7,755.35	सामान्य सेवायें	9,262.30	65.84	9,328.14
2,741.40	कर - भिन्न राजस्व	3,420.93	9,902.22	सामाजिक सेवाएं	6,574.39	4,329.69	10,904.08
1,774.47	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	2,301.75	7,529.91	आर्थिक सेवाएं	6,140.75	1,855.98	7,996.73
3,257.29	भारत सरकार से अनुदान	3,050.62	69.91	सहायतानुदान एवं अंशदान	81.24	-	81.24
भाग - ख : पूंजी							
9.39	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8.00	5,218.48	पूंजीगत परिव्यय	186.09	3,845.01	4,031.10
212.84	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	233.05	829.69	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	183.37	538.50	721.87
8,455.37	लोक ऋण प्राप्तियां*	9,842.73	2,745.97	लोक ऋण का पुनर्भुगतान **	-	-	3,971.08
-	आकस्मिक निधि	192.83	-	आकस्मिक निधि	-	-	192.83
15,789.41	लोक लेखा प्राप्तियां	16,594.62	14,319.66	लोक लेखा संवितरण	-	-	15,324.41
3,404.94	आरम्भिक नकद शेष	493.42	493.42	अंतिम नगद शेष	-	-	376.84
48,864.61	कुल	53,928.32	48,864.61	कुल			53,928.32

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा तथा अभ्यर्पण।

** अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देनों को छोड़कर।

गत वर्ष से 2010 - 11 के दौरान वित्तीय सम्पादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ` 3,570 करोड़ (27 प्रतिशत) तक तथा कर-भिन्न राजस्व में ` 680 करोड़ (25 प्रतिशत) तक की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां ` 4,571 करोड़ (22 प्रतिशत) तक बढ़ गईं। भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा ` 527 करोड़ (30 प्रतिशत) तक बढ़ गया। भारत सरकार से सहायता अनुदान ` 206 करोड़ (छ: प्रतिशत) तक कम हो गए। राज्य का स्वयं का कर राजस्व (` 16,790 करोड़), ते.वि.आ. (` 17,614 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य के पांच प्रतिशत तक तथा एफ.सी.पी. (` 18,744 करोड़) के 10 प्रतिशत तक घट गया किन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. (` 16,469 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से दो प्रतिशत तक उच्चतर हो गया। राज्य का स्वयं का कर-भिन्न राजस्व (` 3,421 करोड़), टी.एफ.सी. (` 11,990 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्यों से 71 प्रतिशत तक, एफ.सी.पी. (` 3,972 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से 14 प्रतिशत तक तथा वर्ष 2010 - 11 हेतु एम.टी.एफ.पी.एस. (` 3,549 करोड़) में नियत किए गए लक्ष्यों से चार प्रतिशत तक निम्नतर था (परिशिष्ट 1.6)।
- सामाजिक सेवाओं (` 1,002 करोड़), आर्थिक सेवाओं (` 467 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (` 1,573 करोड़) पर मुख्यतः व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ` 3,053 करोड़ (12 प्रतिशत) तक बढ़ गया। योजनेतर राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.) (` 22,059 करोड़), एफ.सी.पी. (` 22,944 करोड़) में सरकार द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से ` 885 करोड़ (चार प्रतिशत) तक कम

था किन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. (` 21,698 करोड़) तथा ते.वि.आ. में मानकीय आंकलन (` 15,790 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से क्रमशः ` 361 करोड़ (दो प्रतिशत) तथा ` 6,269 करोड़ (40 प्रतिशत) तक उच्चतर था (परिशिष्ट 1.6)।

- आर्थिक सेवाओं पर मुख्यतः 'कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों' (` 834 करोड़) तथा 'परिवहन' (` 275 करोड़) पर विशेषतः पूंजीगत व्यय में ` 1,187 करोड़ (23 प्रतिशत) की कमी हुई।
- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली 2010 - 11 में ` 20 करोड़ (नौ प्रतिशत) तक बढ़ गई।
- लोक ऋण प्राप्तियां मुख्यतः आंतरिक ऋण प्राप्तियों में ` 1,214 करोड़ की वृद्धि के कारण ` 1,387 करोड़ (16 प्रतिशत) तक बढ़ गई। लोक ऋण के पुनर्भुगतान में भी ` 1,225 करोड़ (45 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। इस प्रकार, लोक ऋण प्राप्तियों में ` 162 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियां 2009 - 10 में ` 15,789 करोड़ से 2010 - 11 में ` 16,595 करोड़ तक बढ़ गई तथा इसके संवितरण भी 2009 - 10 में ` 14,320 करोड़ से 2010 - 11 में ` 15,324 करोड़ तक बढ़ गए।
- 2010 - 11 की समाप्ति पर सरकार का नकद शेष गत वर्ष की तुलना में ` 117 करोड़ तक कम हो गया।




1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 2010 - 11 के वित्तीय लेखाओं के अनुसार राज्य के संसाधन


प्राप्तियों की राजस्व¹ एवं पूंजीगत² दो ही स्ट्रीम हैं, जो कि सरकार के संसाधनों का निर्माण करती हैं। तालिका 1.1, 2010 - 11 के दौरान सरकार की प्राप्तियों और वितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा 2010 - 11 के वित्त लेखाओं में दर्ज है जबकि चार्ट 1.1, 2006 - 11 के दौरान सरकार की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। चार्ट 1.2, 2010 - 11 के दौरान सरकार के संसाधनों के संघटन को प्रदर्शित करता है।

1 राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा जी.ओ.आई. से सहायतानुदान सम्मिलित हैं।

2 पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा जी.ओ.आई. से ऋणों एवं अग्रिमों के अतिरिक्त लोक लेखा से संभूतियां शामिल हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार की कुल प्राप्तियां 2006-07 में ₹ 28,897 करोड़ से ₹ 23,539 करोड़ (81 प्रतिशत) तक बढ़कर 2010-11 में ₹ 52,436 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियां ₹ 7,612 करोड़ (42 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 5,871 करोड़ (139 प्रतिशत) बढ़ गई तथा लोक लेखा प्राप्तियां उसी अवधि के दौरान ₹ 9,863 करोड़ (146 प्रतिशत) तक बढ़ गई। राज्य सरकार ने 2010-11 में आकस्मिक निधि के संग्रह को ₹ 10 करोड़ से ₹ 200 करोड़ तक बढ़ाने के लिए ₹ 190 करोड़ विनियुक्त किए। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2006-07 में 62 प्रतिशत से थोड़ा सा घटकर 2010-11 में 49 प्रतिशत हो गया। कुल प्राप्तियों में लोक लेखा का हिस्सा 2006-07 के 23 प्रतिशत से 2010-11 में बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा उसी अवधि के दौरान 15 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया।

1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर हस्तांतरित निधियां

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य की कार्यान्वयन अभिकरणों³ को जी.ओ.आई. सीधे ही बड़ी मात्रा में निधियों का हस्तांतरण करती आ रही है। चूंकि ये निधियां राज्य बजट/राज्य ट्रेजरी तंत्र से नहीं दी जातीं, वार्षिक लेखाओं में इन निधियों का प्रवाह शामिल नहीं हो पाता तथा उस सीमा तक राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय साथ ही साथ उनसे लिये गये अन्य वित्तीय परिवर्ती/पैरामीटर कम अनुमानित ही रह जाते हैं। कुल संसाधनों की उपलब्धता की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को 2009 - 10 और 2010 - 11 में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई निधियों का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित निधियां

(` करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरण	केन्द्र का हिस्सा	
			2009 - 10	2010 - 11
1.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.)	9.39	23.09
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	डी.आर.डी.ए.	117.89	141.12
3.	इंदिरा आवास योजना	डी.आर.डी.ए.	52.26	59.75
4.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	डी.आर.डी.ए.	24.71	28.04
5.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	27.22	22.51
6.	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	3.84	3.06
7.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)	डी.आर.डी.ए.	11.45	18.31
8.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	डी.आर.डी.ए.	30.23	26.75
9.	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा सदन सोसाइटी	273.07	419.52
10.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	शिक्षा सदन सोसाइटी	2.45	1.72
11.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	के.जी.बी.वी.	0.47	0.85
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	हरियाणा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	174.45	250.91
13.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन	लागू नहीं	56.00	51.50
14.	लघु सिंचाई स्कीम	लागू नहीं	2.12	0
15.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	लागू नहीं	283.72	157.75
16.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	लागू नहीं	28.65	0
17.	विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को केन्द्रीय हिस्सा समर्थन स्कीम	लागू नहीं	7.38	0
18.	मिड डे मील		0	103.96
कुल			1,105.30	1,308.84

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा आपूरित सूचना)

तालिका 1.2 दर्शाती है कि राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों (केन्द्रीय अंश) को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियों में 2010 - 11 के दौरान 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान: ` 146.45 करोड़ (54 प्रतिशत), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: ` 76.46 करोड़ (44 प्रतिशत), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

3 राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित ऐसे संगठन/संस्था शामिल होते हैं जो राज्य में किन्हीं विशेष कार्यक्रमों, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के लिये राज्य कार्यान्वयन अभिकरण, एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं।


स्कीम: ₹ 23.23 करोड़ (20 प्रतिशत), संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम: ₹ 13.70 करोड़ (146 प्रतिशत) के अन्तर्गत थी। तथापि, निधियों के हस्तांतरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन ₹ 125.97 करोड़ (44 प्रतिशत) तथा प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन ₹ 0.73 करोड़ (30 प्रतिशत) की कमी आई।

चूंकि ये निधियां सरकार के लेखाओं में नहीं आती, जी.ओ.आई. से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां प्रत्यक्ष हस्तांतरण के कारण लेखाओं के रख-रखाव और इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग में चूक का खतरा बना रहता है। इन सभी अभिकरणों द्वारा लेखांकन की समरूप प्रक्रिया न अपनाने के अभाव में समुचित प्रलेखन विद्यमान नहीं था तथा इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समय पर रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी। वित्त लेखाओं का व्यय उस सीमा तक अवकथित था।



1.3 राजस्व प्राप्तियां


वित्त लेखाओं की विवरणी 11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2006-11 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट 1.3 एवं 1.4 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियां 42 प्रतिशत तक बढ़ गई। उसी अवधि के दौरान राज्य का स्वयं का राजस्व 30 प्रतिशत तक बढ़ गया, जी.ओ.आई. से सहायता-अनुदान 168 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा केन्द्रीय कर अन्तरण 78 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के स्वयं के राजस्व (कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2006-07 में 86 प्रतिशत से 2010-11 में 79 प्रतिशत तक कम हो गया जोकि मुख्यतः कर-भिन्न राजस्व में 2006-07 में ₹ 4,591 करोड़ से 2010-11 में ₹ 3,421 करोड़ तक कमी के कारण था। जी.ओ.आई. से सहायता अनुदानों का हिस्सा तथा केन्द्रीय कर अन्तरण क्रमशः 2006-07 में छः एवं सात प्रतिशत से 2010-11 में 12 एवं नौ प्रतिशत तक बढ़ गए।

2001-02 से 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संयुक्त वृद्धि दर (13.54 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (15.20 प्रतिशत) से कम थी। 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 14.41 प्रतिशत तक बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

चालू मूल्य में जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.3 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.3: जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर) (` करोड़ में)	17,952	19,751	18,452	20,993	25,564
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	29.58	10.02	(-)6.58	13.77	21.77
आर.आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	13.79	12.80	10.09	9.71	9.92
उत्प्लावकता अनुपात ⁴					
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.480	0.540	(-)0.355	0.755	1.134
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य के स्वयं की कर उत्प्लावकता	1.019	0.340	0.017	0.736	1.407
जी.एस.डी.पी. (` करोड़ में)	1,30,141	1,54,283	1,82,914	2,16,287	2,57,793
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	19.99	18.55	18.56	18.25	19.19

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जिसने 2006-07 तथा 2009-10 के मध्य घटती प्रवृत्तियां इंगित की क्योंकि यह 2006-07 में 29.58 प्रतिशत से 2009-10 में 13.77 प्रतिशत तक कम हो गई, ने 2010-11 के दौरान 21.77 प्रतिशत तक वृद्धि करते हुए कुछ सुधार दर्शाया है। जी.एस.डी.पी. से राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता अनुपात ने भी कुछ सुधार दर्शाया है तथा 2009-10 में 9.71 से 2010-11 में 9.92 तक बढ़ गया है।

4 उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत तक बढ़ती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशत प्वाइंट्स तक बढ़ जायेगी।


जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य की अपनी कर उत्पादकता 2006 - 07 में 1.019 से 2010 - 11 में 1.407 तक बढ़ गई। परन्तु जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व उत्पादकता 2006 - 07 में 1.480 से 2010 - 11 में 1.134 तक कम हो गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता - अनुदानों में राज्य के हिस्से वित्त आयोग की सिफारिशों, केंद्रीय कर प्राप्तियों, योजनागत स्कीमों इत्यादि के लिये केंद्रीय सहायता के संग्रहण के आधार पर तय होते हैं, अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का निर्धारण इसके स्वयं के कर एवं कर भिन्न संसाधनों से राजस्व समाविष्ट करते हुए इसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिये। कर-भिन्न प्राप्तियों के घटकों के अतिरिक्त मुख्य करों तथा शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण की तुलना में उनके संग्रहण पर किये गये व्यय तथा 2006 - 07 से 2010 - 11 तक के वर्षों में संगत अखिल भारतीय औसत सहित सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता **परिशिष्ट 1.7** में प्रस्तुत की गई हैं।

कर राजस्व

कर राजस्व पिछले वर्ष (₹ 13,220 करोड़) से 2010 - 11 के दौरान (₹ 16,790 करोड़) 27 प्रतिशत तक बढ़ गया। घटकवार वृद्धि चार्ट 1.5 में इंगित की गई है।




(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से राजस्व ने कर राजस्व का प्रमुख हिस्सा (66 प्रतिशत) समाविष्ट किया तथा यह गत वर्ष से 23 प्रतिशत तक बढ़ गया। स्टाम्प तथा पंजीकरण, राज्य उत्पाद शुल्क और वाहनों पर करों के अन्तर्गत प्राप्तियां 2009 - 10 पर 2010 - 11 के दौरान क्रमशः 79 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत तक बढ़ गई। 2001-02 से 2009-10 के दौरान कर राजस्व (13 प्रतिशत) की संयुक्त वृद्धि दर अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों (14.53 प्रतिशत) की वृद्धि दर से कम थी। 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि के

लिए यह वृद्धि दर 14.47 प्रतिशत (परिशिष्ट 1.1) तक बढ़ गई। राज्य का अपना कर राजस्व ते.वि.आ. (₹ 17,614 करोड़) द्वारा किए गए निर्धारण के साथ-साथ सरकार द्वारा इसके एफ.सी.पी. (₹ 18,744 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था किन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 16,469 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से उच्चतर था (परिशिष्ट 1.6)।

कर - भिन्न राजस्व

गत वर्ष पर ₹ 680 करोड़ (25 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाते हुए 2010-11 के दौरान कर-भिन्न राजस्व (₹ 3,421 करोड़) ने कुल राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत संघटित किया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि मुख्यतः मुख्य शीर्ष 'शहरी विकास' के अन्तर्गत प्राप्तियों में ₹ 841 करोड़ की वृद्धि के कारण थी। कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि लम्बित मुकदमंबाजी के परिणामस्वरूप अरावली हिल्स में खनन परिचालनों के समापन के कारण "अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग" के अन्तर्गत कमी (₹ 165 करोड़) तक प्रतितुलन की गई थी। 2001-02 से 2009-10 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की संयुक्त वृद्धि दर (6.42 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (13.87 प्रतिशत) से कम थी। 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि के लिए यह वृद्धि दर 8.31 प्रतिशत तक बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)। तथापि, 2010-11 के दौरान ₹ 3,421 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व ते.वि.आ. द्वारा (₹ 11,990 करोड़), सरकार द्वारा एफ.सी.पी. में (₹ 3,972 करोड़) तथा इसके एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 3,549 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

कर संग्रहण पर व्यय

कर राजस्व 2006-11 के संग्रहण पर व्यय बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर करों के लिए 0.66 तथा 0.86 प्रतिशत, वाहनों पर करों के लिए 2.34 तथा 4.09 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क के लिए 0.91 तथा

1.30 प्रतिशत, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के लिए 0.51 तथा 1.23 प्रतिशत और माल एवं यात्रियों पर करों के लिए 0.30 तथा 0.50 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रहा। तथापि, यह परिशिष्ट 1.6 में दिए गए विवरणानुसार कर संग्रहण पर किए गए अखिल भारतीय औसत व्यय से कम था।

1.3.2 करों की चोरी एवं पुनर्भुगतानों के कारण राजस्व की हानि

कर चोरी के 23,294 प्रकरणों में से (20,122 प्रकरण 2010-11 के दौरान तथा 3,172 प्रकरण 31 मार्च 2010 को लम्बित थे) 19,691 प्रकरणों में निर्धारण/जांच पूरी हो चुकी थी तथा जुर्माने सहित ₹ 18.07 करोड़ की अतिरिक्त मांग आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उठाई गई थी।

2010-11 के दौरान आबकारी एवं कराधान तथा बिजली विभागों द्वारा 3,856 प्रकरणों में ₹ 1,139.22 करोड़ की बकाया राशि के विरुद्ध 3,233 दावेदारों को ₹ 641.06 करोड़ वापस किये गये थे। ₹ 498.16 करोड़ की वापसियों से आवेष्टित शेष 623 प्रकरण आबकारी एवं कराधान विभाग से संबंधित थे।

1.3.3 राजस्व के बकाया


राजस्व बकाया 2006-07 में ₹ 1,602 करोड़ से ₹ 1,822 करोड़ (115 प्रतिशत) तक बढ़कर 2010-11 में ₹ 3,444 करोड़ हो गये। इनमें से, ₹ 987 करोड़ (29 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थे। बकाया मुख्यतः बिक्रियों, व्यापार, इत्यादि पर कर: ₹ 2,887 करोड़, स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर: ₹ 201 करोड़, बिजली पर कर एवं शुल्क: ₹ 128 करोड़, राज्य उत्पाद: ₹ 108 करोड़ तथा यात्री एवं माल भाड़े पर कर: ₹ 59 करोड़ के कारण थे। जैसा कि उपर्युक्त आंकड़ों से प्रमाणित होता है, बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर कुल बकाया का 84 प्रतिशत हिस्सा बनता है। ₹ 775 करोड़ की राशि की मांगे उच्च-न्यायालय, ज्यूडिशियल एवं नान-ज्यूडिशियल प्राधिकारियों द्वारा अनुमत स्थगनों के कारण वसूल नहीं की जा सकी। राजस्व के बकायों के संग्रहण पर तुरंत ध्यान देने के साथ-साथ समयबद्ध ढंग से उनके उद्ग्रहण हेतु प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।

1.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आबंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें प्रमुख व्ययों की जिम्मेवारी सौंपी गई होती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व की वैधानिकताओं की रूप रेखा में रहते हुये घाटे अथवा उधारियों द्वारा दिये गए वित्त से सार्वजनिक व्यय में बढ़ती बाध्यताएं होती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू वित्तीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया व्यय, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास की ओर निदेशित व्यय की लागत पर नहीं है।

1.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

पांच वर्षों (2006-2011) की अवधि के कुल व्यय में अवलोकित प्रवृत्तियों को चार्ट 1.7 में दर्शाया गया है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.8 एवं 1.9 में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.4 पांच वर्षों (2006-11) में पूंजीगत व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है:

तालिका 1.4: पूंजीगत व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
पूंजीगत व्यय	2,428	3,426	4,502	5,218	4,031
वृद्धि दर (प्रतिशत)	51	41	31	16	(-)23
कुल व्यय से प्रतिशतता	12.80	16.13	17.75	16.67	12.19

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

पांच वर्षों (2006-11) की अवधि में कुल व्यय 74 प्रतिशत तक बढ़ गया। इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय 73 प्रतिशत तक तथा पूंजीगत व्यय 66 प्रतिशत तक बढ़ गया। परन्तु वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय 2009-10 की तुलना में ₹ 1,187 करोड़ (23 प्रतिशत) तक कम हो गया। 2001-02 से 2009-10 तक के लिए पूंजीगत व्यय की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (17.19 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की संयुक्त वृद्धि दर (22.61 प्रतिशत) से कम थी। 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि के लिए यह वृद्धि दर 11.87 प्रतिशत तक कम हो गई (परिशिष्ट 1.1)।


ऋणों एवं अग्रिमों का सवितरण भी 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान 290 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, कुल व्यय में एन.पी.आर.ई. का हिस्सा 2006-07 में 73 प्रतिशत से 2010-11 में 67 प्रतिशत तक कम हो गया।

2001-02 से 2009-10 के दौरान कुल व्यय की संयुक्त वृद्धि दर (14.74 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (13.53 प्रतिशत) से उच्चतर थी। 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि के लिए यह वृद्धि 13.67 प्रतिशत तक कम हो गई। 2010-11 के दौरान कुल व्यय अर्थात् ₹ 33,063 करोड़, गत वर्ष की तुलना में 66 प्रतिशत तक बढ़ गया। प्लान तथा नॉन-प्लान व्यय में कुल व्यय के द्विशाखन ने प्रकट किया कि प्लान तथा नॉन-प्लान व्यय का हिस्सा क्रमशः 32 तथा 68 प्रतिशत था।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2006-07 के 86.23 प्रतिशत से 2010-11 में घटकर 85.62 प्रतिशत रह गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2006-07 में 12.80 प्रतिशत से 2010-11 में घटकर 12.19 प्रतिशत हो गया। संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा 2006-07 के 0.97 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 2.19 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय से एन.पी.आर.ई. का अनुपात वर्ष 2010-11 पर 62.42 प्रतिशत से 66.72 प्रतिशत तक बढ़ गया। जी.एस.डी.पी. से एन.पी.आर.पी. का अनुपात 9.04 प्रतिशत से 8.56 प्रतिशत तक घट गया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

व्यय के विभिन्न घटकों के परस्पर संबद्ध हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2006-07 में 27 प्रतिशत से 2010-11 में 29 प्रतिशत तक बढ़ गया, आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 2006-07 में 44 प्रतिशत से 2010-11 में 33 प्रतिशत तक घट गया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं का सांझा हिस्सा, जिसने विकास व्यय प्रस्तुत किया, भी 2006-07 में 72 प्रतिशत से 2010-11 में 70 प्रतिशत तक घट गया।

राज्य का राजस्व व्यय मुख्यतः पेंशन (` 704 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों (` 582 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय (` 1,573 करोड़) में वृद्धि के कारण 2009-10 में ` 25,257 करोड़ से 2010-11 में ` 28,310 करोड़ तक 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय भी शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति (` 690 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (` 101 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ` 1,002 करोड़ तक बढ़ गया। एन.पी.आर.ई. तथा प्लान राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) में राजस्व व्यय के विघटन ने दर्शाया कि एन.पी.आर.ई. का आनुपातिक हिस्सा पी.आर.ई. से महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर था। राजस्व व्यय में ` 3,053 करोड़ की कुल वृद्धि में एन.पी.आर.ई. तथा पी.आर.ई. के क्रमशः ` 2,517 करोड़ तथा ` 536 करोड़ समाविष्ट थे।

2010-11 में ` 22,059 करोड़ का एन.पी.आर.ई., ते.वि.आ. (` 15,790 करोड़) के मानकीय निर्धारण तथा एम.टी.एफ.पी.एस. (` 21,698 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से उच्चतर था किन्तु सरकार द्वारा इसके एफ.सी.पी. (` 22,944 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण के भीतर था (परिशिष्ट 1.6)।

1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान और वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा परिदान समाविष्ट हैं। 2006-11 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.5 एवं चार्ट 1.10 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.5: प्रतिबद्ध व्यय के अवयव

(` करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां, जिसका है	4,126 (23)	4,566 (23)	6,546 (35)	8,440 (40)	10,022 (41)	9,809* (38)
योजनेतर शीर्ष	3,784	4,292	6,069	7,746	9,142	8,974
योजना शीर्ष**	342	274	477	694	880	835
ब्याज भुगतान	2,265 (13)	2,346 (12)	2,339 (13)	2,737 (13)	3,913 (16)	3,319 (13)
पेंशन का व्यय	1,173 (7)	1,298 (7)	1,614 (9)	2,390 (11)	2,300 (9)	3,094 (12)
परिदान	3,852 (21)	3,057 (15)	3,190 (17)	3,089 (15)	3,274 (13)	3,285 (13)
कुल	11,416	11,267	13,689	16,656	19,509	19,507

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

* ` 136.90 करोड़ की मजदूरियां शामिल है।

** योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गये वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वेतन एवं मजदूरियां

2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों (₹ 9,809 करोड़) पर व्यय 138 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2001-02 से 2009-10 के दौरान वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (13.65 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों (11.45 प्रतिशत) से अधिक थी। 2001-02 से 2010-11 की अवधि के लिए यह विकास दर 13.92 प्रतिशत तक बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)। वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय राज्य के अपने एफ.सी.पी. (₹ 9,500 करोड़) तथा ते.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 6,457 करोड़) से उच्चतर था किन्तु सरकार के एम.टी.एफ.पी.एस. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 10,191 करोड़) के भीतर था (परिशिष्ट 1.6)।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 3,319 करोड़) पांच वर्ष (2006-11) की अवधि में 47 प्रतिशत तक बढ़ गए। गत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान ₹ 582 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों की प्रतिशतता 2006-11 के दौरान लगभग अनुकूल रही। 2010-11 के दौरान ब्याज भुगतान राज्य द्वारा अपने एफ.सी.पी. (₹ 3,509 करोड़) के प्रक्षेपणों, एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 3,573 करोड़) के प्रक्षेपणों तथा वर्ष 2010-11 के लिए ते.वि.आ. (₹ 3,474 करोड़) द्वारा किए गए निर्धारण के भीतर थे (परिशिष्ट 1.6)।

पेंशन भुगतान

2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 3,094 करोड़) 164 प्रतिशत तक बढ़ गए किन्तु राजस्व प्राप्तियों को इसकी प्रतिशतता 2006-07 में सात से 2010-11 में 12 तक बढ़ गई। 2001-02 से 2009-10 के दौरान पेंशन पर संयुक्त वार्षिक विकास दर (17.52 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (14.09 प्रतिशत) से अधिक थी। 2001-02 से 2010-11 तक यह विकास दर 18.77 प्रतिशत तक बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)। 2010-11 में पेंशन भुगतानों पर व्यय ते.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारणों (₹ 1,939 करोड़), राज्य द्वारा क्रमशः इसके एफ.सी.पी. (₹ 2,950 करोड़) तथा एम.टी.एफ.पी.एस.

(` 3,070 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से उच्चतर था (*परिशिष्ट 1.6*)। बढ़ते पेंशन दायित्वों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 से नई अंशदान पेंशन स्कीम शुरू की गई थी।

परिदान

परिदानों का भुगतान 2006-07 में ` 3,852 करोड़ से ` 567 करोड़ (15 प्रतिशत) घटकर 2010-11 में ` 3,285 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत था। ` 3,285 करोड़ के कुल परिदानों में से ` 2,949 करोड़ (90 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए थे, जिसमें से अधिकतम ग्रामीण विद्युतीकरण (` 2,940 करोड़) के लिये थे। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल वास्तविक परिदान एफ.सी.पी. (` 3,200 करोड़) तथा एम.टी.एफ.पी.एस. (` 3,200.65 करोड़) में प्रक्षेपण के भीतर था। ` 336 करोड़ का शेष परिदान एफ.सी.पी. में प्रक्षेपण (` 280 करोड़) से ` 56 करोड़ तक उच्चतर था किन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. में किए गए प्रक्षेपणों (` 385.99 करोड़) के भीतर था (*परिशिष्ट 1.6*)।

कुल प्रतिबद्ध व्यय

वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (` 16,085 करोड़) सरकार द्वारा इसके एफ.सी.पी. में प्रक्षेपणों (` 15,959 करोड़) से ` 126 करोड़ तक अधिक था और एफ.सी.पी. में प्रक्षेपित 58 प्रतिशत के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों का 63 प्रतिशत संघटित किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियों, ब्याज, पेंशन भुगतानों तथा परिदानों ने 2010-11 के दौरान एन.पी.आर.ई. का 88 प्रतिशत संघटित किया।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से दी गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.6 में दी गई है।

तालिका 1.6 : स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, आदि

(` करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11		
					बजट अनुमान	वास्तविक	विभिन्नताओं की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थान(सहायित स्कूल, सहायित कालेज, विश्वविद्यालय, आदि)	247.53	459.65	538.49	446.03	987.97	741.79	(-) 25
नगर निगम एवम नगरपालिका	125.63	103.22	464.45	306.24	265.15	291.43	10
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	135.02	93.88	412.16	366.26	574.63	267.83	(-) 53
विकास अभिकरण	231.93	520.33	268.75	333.48	429.42	388.23	(-) 10
अस्पताल एवम धर्मार्थ संस्थाएं	20.32	49.46	46.80	125.79	331.89	211.97	(-) 36
अन्य संस्थाएं	161.51	345.05	322.72	368.89	243.35	322.21	32
कुल	921.94	1,571.59	2,053.37	1,946.69	2,832.41	2,223.46	(-) 21
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	6	9	10	8		8	

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आपूरित सूचना)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2006-07 में ` 921.94 करोड़ से बढ़कर ` 2,223.46 करोड़ हो गई, 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय का आठ प्रतिशत रही। उपर्युक्त तालिका का विश्लेषण प्रकट करता है कि वित्तीय सहायता 2009-10 में ` 1,946.69 करोड़ से 2010-11 के दौरान बढ़कर ` 2,223.46 करोड़ हो गई। गत वर्ष की तुलना में ` 276.77 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों (` 295.76 करोड़), अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (` 86.18 करोड़) तथा विकास

एजेसियों (` 54.75 करोड़) को अधिक सहायता दिये जाने के कारण थी। जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं, अन्य संस्थाओं तथा नगर निगमों एवं नगरपालिका समितियों को सहायता क्रमशः ` 98.43 करोड़, ` 46.68 करोड़ एवं ` 14.81 करोड़ तक घट गई। ` 2,832.41 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरुद्ध ` 2,223.46 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई। बजट अनुमानों की तुलना में विकास एजेसियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं तथा जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को वास्तव में निर्मुक्त की कमी की रेंज 10 से 53 प्रतिशत के मध्य थी। स्थानीय निकायों को ` 559.26 करोड़ की वास्तविक निर्मुक्त ते.वि.आ. के प्रक्षेपण (` 97.25 करोड़) से अधिक थी (परिशिष्ट 1.6)।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बढ़िया सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं का होना सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं उदाहरणार्थ व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का पर्याप्त प्रावधान); व्यय की कार्यकुशलता तथा उपयोग एवं प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय - परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.5.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपी गई सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक मूलभूत संरचना से संबद्ध व्यय जिम्मेवारियां बृहद् रूप से राज्य के विषय हैं। मानवीय विकास स्तरों को बढ़ाने के लिये राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाना होता है। किसी विशेष क्षेत्र के साथ निम्न वित्तीय प्राथमिकता (कुल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात) जुड़ी होती है यदि यह संगत राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तालिका 1.7 विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की 2010 - 11 के दौरान वित्तीय प्राथमिकता एवं वित्तीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.7 : राज्य के 2007 - 08 और 2010 - 11 में राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई. /जी.एस.डी.पी.	डी.ई. /ए.ई.	एस.एस.ई. /ए.ई.	सी.ई. /ए.ई.	शिक्षा /ए.ई.	स्वास्थ्य /ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्य औसत*(अनुपात) 2007 - 08	17.09	64.28	32.54	16.14	14.64	3.98
हरियाणा और अनुपात 2007 - 08	13.77	72.25	31.36	16.13	13.36	2.73
सामान्य श्रेणी राज्य औसत*(अनुपात) 2010 - 11	16.68	64.29	36.68	13.25	17.39	4.34
हरियाणा औसत (अनुपात)*2010 - 11	12.83	70.37	37.45	12.19	18.06	3.29

* जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत

ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.: विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

जी.एस.डी.पी. का स्रोत: राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय से सूचना प्राप्त की।

तालिका 1.7 में 2007 - 08 एवं चालू वर्ष अर्थात 2010 - 11 में राज्य के व्यय की विभिन्न श्रेणियों की दी गई वित्तीय प्राथमिकताओं की तुलना दर्शाती है।

राजकोषीय प्राथमिकता:

- 2007 - 08 एवं 2010 - 11 दोनों में जी.एस.डी.पी. का अनुपात के रूप में हरियाणा का कुल व्यय अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में निम्नतर था।

- सरकार ने 2007-08 एवं 2010-11 में डी.ई. को पर्याप्त वित्तीय प्राथमिकता दी क्योंकि इसका ए.ई. से अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से उच्चतर था।
- 2007-08 में ए.ई. में एस.एस.ई. का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के तदनुसूची अनुपात से निम्नतर था, परन्तु सरकार ने 2010-11 में इस क्षेत्र को उचित प्राथमिकता दी क्योंकि ए.ई. में यह अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से उच्चतर था।
- 2007-08 तथा 2010-11 में ए.ई. से सी.ई. का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से निम्नतर था।
- ए.ई. से शिक्षा व्यय पर व्यय के अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया था जो 2007-08 में 13.36 प्रतिशत से 2010-11 में 18-06 प्रतिशत तक बढ़ गया। हरियाणा में शिक्षा को दी गई प्राथमिकता अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से उच्चतर थी।
- 2007-08 एवं 2010-11 में हरियाणा में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से कम थी। सरकार द्वारा स्वास्थ्य को उच्चतर राजकोषीय प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

1.5.2 व्यय प्रयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के लिये कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स⁵ के प्रावधान पर जोर देना और समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना आवश्यक है। वर्तमान वर्षों में ऋण सेवा में कमी आने के कारण उत्पन्न राजकोषीय स्थान का विशेष रूप से ध्यान रखते हुये, विकास व्यय⁶ की ओर आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का कुल व्यय (और/अथवा जी.एस.डी.पी.) से अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। इन अवयवों का कुल व्यय (और/अथवा जी.एस.डी.पी.) से अनुपात जितना उच्चतर होगा उतनी ही अच्छी व्यय की गुणवत्ता होगी। विकास व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं

5 कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव; प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुएं एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।

मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिये तथा इसलिये उनकी खपत को प्रोत्साहित करना चाहता है। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइज्ड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।

6 व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत लागत और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है।

अग्रिमों सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शामिल हैं। 2006 - 07 से 2010 - 11 के दौरान राज्य के कुल व्यय से संबंधित विकास व्यय में प्रवृत्तियों को तालिका 1.8 दर्शाती है। चार्ट - 1.11, 2006 - 11 के दौरान अवयववार व्यय को दर्शाती है। तालिका 1.9, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख - रखाव पर खर्च किये गये पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के अवयवों के विवरणों को प्रस्तुत करती है।


तालिका 1.8: विकास व्यय

(` करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	13,615(72)	15,346(72)	18,743(74)	23,103(74)	24,194(72)	23,266(70)
क) विकास राजस्व व्यय	11,242(59)	11,961(56)	14,294(56)	17,432(56)	19,491(58)	18,901(57)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	2,338(12)	3,255(15)	4,307(17)	5,031(16)	3,316(10)	3,832(12)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	35(0.18)	130(0.61)	142(0.56)	640(2)	1,387(4)	533(1)

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में दिए गए अंक कुल व्यय की प्रतिशतता के सूचक हैं)



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2006 - 07 से 2010 - 11 की अवधि के दौरान विकास व्यय 71 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 70 प्रतिशत संघटित किया, 2009 - 10 में ` 23,103 करोड़ से मात्र ` 163 करोड़ (0.45 प्रतिशत) बढ़कर 2010 - 11 में ` 23,266 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय ने विकास व्यय का 81 प्रतिशत संघटित किया जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 19 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान विकास पूंजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत तक कम हो गया जो इंगित करता है कि परिसम्पत्तियों के सृजन पर कम व्यय किया गया था। यह व्यय इसके बजट अनुमानों के भीतर था। ` 24,194 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ` 23,266 करोड़ था।

तालिका 1.9: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय – प्रयोग की दक्षता

(करोड़ में)

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2009-10			2010-11		
	सी.ई. से टी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा		सी.ई. से टी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा	
		एस. एवं डब्ल्यू	ओ. एण्ड एम.		एस. एण्ड डब्ल्यू	ओ. एण्ड एम.
सामाजिक सेवाएं (एस.एस.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.021	68.00	0.02	0.013	67.61	0.69
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.068	76.38	0.03	0.017	74.46	- ⁷
जल सप्लाई, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.413	35.41	7.13	0.463	36.63	7.08
कुल	0.116	64.60	1.08	0.122	63.91	1.55
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं सम्बन्धित कार्य	0.478	50.94	1.55	0.126	46.81	1.61
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.462	22.28	13.77	0.458	49.86	7.43
विद्युत एवं ऊर्जा	0.244	0.06	-	0.181	0.03	-
परिवहन	0.475	36.85	27.22	0.392	44.37	19.89
कुल (ई.एस.)	0.385	20.97	8.62	0.278	26.10	5.78
कुल (एस.एस. + ई.एस.)	0.264	44.51	4.56	0.200	46.85	3.46

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

टी.ई.: कुल व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय, आर.ई.: राजस्व व्यय, एस. एण्ड डब्ल्यू: वेतन एवं मजदूरियां, ओ. एण्ड एम.: कार्य एवं रख-रखाव।

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2009-10 में 0.116 से 2010-11 में 0.122 तक बढ़ हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2009-10 में 0.385 से 2010-11 में 0.278 तक कम हो गया।

वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2009-10 में 64.60 प्रतिशत से 2010-11 में 63.91 प्रतिशत तक घट गया। ओ. एवं एम. पर व्यय का हिस्सा 2010-11 में 1.08 से 1.55 प्रतिशत तक बढ़ गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2009-10 में 20.97 प्रतिशत से 2010-11 में 26.10 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, ओ. एण्ड एम. का हिस्सा 2009-10 में 8.62 प्रतिशत से 2010-11 में 5.78 प्रतिशत तक घट गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2009-10 में 44.51 प्रतिशत से 2010-11 में 46.85 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, ओ. एण्ड एम. का हिस्सा 2009-10 में 4.56 प्रतिशत से 2010-11 में 3.46 प्रतिशत तक घट गया।

1.5.3 फ्लैगशिप योजनाएं: व्यय की स्थिति

भारत सरकार द्वारा 27 केन्द्रीय सैक्टर और राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संभावित प्रभावों को पहचानते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सम्बन्धित योजनाओं की फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में पहचान की है। निम्नलिखित राशियां केन्द्र सरकार, मंत्रालयों द्वारा हरियाणा सरकार को उनके कार्यकलापों और विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों/एन.जी.ओ.ज को 2010-11 के दौरान स्कीमों के लिए निर्मुक्त की गई थी।

⁷ 0.01 से कम।

तालिका 1.10: हरियाणा में कार्यान्वित फ्लैगशिप स्कीमों के अन्तर्गत व्यय निधियों की उपलब्धता से तुलना

(करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों के व्यय की प्रतिशतता
		जी.ओ.आई.	राज्य का हिस्सा	आरंभिक शेष सहित अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	250.91	28.07	-	278.98	278.66	100
2	एकत्रित वाटरशैड प्रबन्धन कार्यक्रम (मरूस्थल विकास कार्यक्रम)	5.84	1.52	66.35	73.71	28.74	39
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट	113.77	5.53	59.57	178.87	213.68	119
4	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	0.00	16.00	-	16.00	16.00	100
5	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि	39.53	-	-	39.53	27.66	70
6	इन्दिरा आवास योजना	59.75	19.92	6.50	86.17	78.08	90
7	सर्व शिक्षा अभियान	364.40	250.31	132.31	747.02	645.41	86
8	ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम (क) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम (ख) मरूस्थल विकास कार्यक्रम	178.36	237.00	99.94	515.30	336.71	65
9	दोपहर भोजन स्कीम	145.06	66.42	28.02	239.50	209.65	88
10	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	160.29	10.58	-	170.87	132.67	78
11	राष्ट्रीय उपवन मिशन	51.50	9.09	2.49	63.08	60.20	95
12	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	109.39	--	-	109.39	109.39	100
13	कृषि का वृहत प्रबंध जिसमें वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशैड विकास परियोजना और विस्तार सेवाएं सम्मिलित हैं।	13.34	1.48	0.01	14.83	14.50	98
14	राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम	--	1.34	-	1.34	1.34	100
15	तेल बीजों, दालों और मक्का पर एकीकृत स्कीम	5.03	2.29	1.85	9.17	8.56	93
16	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन		84.89	-	84.89	86.40	102
17	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान		7.35	-	7.35	7.35	100
18	राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना	110.60	10.38	38.68	159.66	47.42	30
19	त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम	28.46	5.92	27.14	61.52	8.73	14
20	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	53.24	-	-	53.24	48.50	91

(स्रोत: वित्तीय लेखे एवं सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचना)

तालिका 1.10 दर्शाती है कि एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (मरूस्थल विकास कार्यक्रम), त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार स्कीम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों (क) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम (ख) मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता 14 और 70 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

1.6 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के गठन के बाद, राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधारों) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित स्रोतों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन में, सरकार को अन्तर्निहित परिदानों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने और वित्तीय परिचालनों में निष्पक्षता लाने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। यह धारा पिछले वर्षों की तुलना में 2010-11 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

1.6.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2011 के अंत में ₹ 411.61 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली सात सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2010-11 में इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 169.47 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 41 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 247.53 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 20.58 करोड़) को वहन करने के बाद, ₹ 98.64 करोड़ की हानि हुई, जो इन परियोजनाओं पर पूंजीगत लागत का 24 प्रतिशत थी।

1.6.2 अधूरी परियोजनायें

31 मार्च 2011 को अधूरी परियोजनाओं से सम्बन्धित विभागवार सूचना तालिका 1.11 में दी गई है। अधूरी परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे परियोजनायें सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथि यथा 31 मार्च 2011 पहले ही समाप्त हो चुकी है।

तालिका 1.11: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक वजट लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत*	मार्च 2011 तक का कुल व्यय
भवन एवं सड़क	21	88.87	-	41.24
कुल	21	88.87	-	41.24

(स्रोत: 2010-11 के लिए राज्य वित्तीय लेखे)

इन परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि अगस्त 2008 और मार्च 2011 के बीच थी, परन्तु ये छः से 37 माह तक परिवर्ती समय फैलाव सहित अपूर्ण थी। इन परियोजनाओं के पूर्ण करने में देरी के कारणों को विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

1.6.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2011 तक सरकार ने सांविधिक विभागों, ग्रामीण बैंकों, साझा स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 6,376.98 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.12)। पिछले पांच वर्षों में इस निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.14 प्रतिशत था जबकि 2006-11 के दौरान अपनी उधारों पर सरकार ने ब्याज की औसत दर 8.59 प्रतिशत अदा की।

तालिका 1.12 : निवेशों की वापसी

निवेश/वापसी/उधारों की लागत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,058.05	3,988.43	5,031.32	5,575.18	802.47	6,376.98
वापसी (₹ करोड़ में)	5.62	6.05	8.27	9.60	3.77	2.48
वापसी (प्रतिशत)	0.18	0.15	0.16	0.17	0.47	0.04
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.20	7.43	7.82	9.29	8.46	9.22
ब्याज दर और वापसी के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.02	7.28	7.66	9.12	7.99	9.18

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा निवेश 2006-07 से 2010-11 तक पांच वर्षों की अवधि में 109 प्रतिशत तक बढ़ गए जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2006-07 में ` 5.62 करोड़ से 2010-11 में ` 2.48 करोड़ तक घट गए। निवेशों से प्रतिलाभ भी 2006-07 में 0.18 से 2010-11 में 0.04 तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2006-11 के दौरान 7.43 से 9.29 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता अवधि के दौरान 0.04 तथा 0.18 के मध्य रही। 2010-11 के दौरान ` 801.80 करोड़ का निवेश बजट प्रावधान (` 802.47 करोड़) के अन्तर्गत था।

2010-11 तक ` 5,776 करोड़ के कुल निवेश सहित 11 सरकारी कम्पनियां नुकसान उठा रही थी और 2010-11 तक इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ` 6,170 करोड़ हो गई (अनुलग्नक 1.8)। यह देखना उपयुक्त है कि 2010-11 में सरकार द्वारा यू.एच.बी.वी.एन.एल.⁸ (` 228 करोड़), डी.एच.बी.वी.एन.एल.⁹ (` 80 करोड़), एच.पी.जी.सी.एल.¹⁰ (` 103 करोड़) तथा एच.वी.पी.एन.एल.¹¹ (` 385 करोड़) की साम्या पूंजी में कुल ` 796 करोड़ (99 प्रतिशत) का निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान इन चार¹² विद्युत वितरण कम्पनियों की ` 5,715 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों (` 6,170 करोड़) का 93 प्रतिशत संघटित किया। मुख्यतः वित्तीय प्रबन्ध, योजना, परियोजना के कार्यान्वयन, इसके परिचालनों एवं मानिट्रिंग में कमियों के कारण नुकसान हुए। इस प्रकार, सरकार को अच्छे प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिये न केवल उच्च लागत उधारों को अधिक सूझबूझ से निवेश करने की ही जरूरत है बल्कि अपनी साम्या को नुकसान उठाने वाली इकाईयों से निकालने की भी जरूरत है।

ते.वि.आ. ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार को अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यूज) को बन्द करने के साथ-साथ उनके विनिवेश एवं निजीकरण पर विचार करने के लिए मार्च 2011 तक रोडमैप तैयार करना चाहिए। 31 मार्च 2011 को सात¹³ अक्रियाशील पी.एस.यूज (सभी कम्पनियां) थे। इनमें से दो¹⁴ पी.एस.यूज समापनाधीन थे किन्तु उनके परिसमापन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई थी। राज्य सरकार ने अक्रियाशील पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य भी आरंभ नहीं किया था।

ते.वि.आ. ने मीटरिंग, फीडर पृथक्करण, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमज के प्रवेश, संवितरण ट्रांसफार्मरज की मीटरिंग तथा कठोर एंटी-थैफ्ट उपायों के माध्यम से पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने की सिफारिश भी की थी। राज्य सरकार ने पहचान किए गए माइलस्टोनज के साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त वचनबद्धता के रूप में जी.ओ.आई., विद्युत मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए (12 फरवरी 2001)।

8 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

9 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

10 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

11 हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

12 हानियां: यू.एच.बी.वी.एन.एल. (` 3,691 करोड़), डी.एच.बी.वी.एन.एल. (` 1,894 करोड़), एच.पी.जी.सी. (` 108 करोड़) तथा एच.वी.पी.एन. (` 22 करोड़)।

13 (i) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम, (ii) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, (iii) हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड (iv) हरियाणा टैन्रीज लिमिटेड, (v) हरियाणा राज्य लघु उद्योग निर्यात निगम लिमिटेड, (vi) हरियाणा खनिज लिमिटेड तथा (vii) हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड।

14 (i) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा (ii) हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड।

राज्य सरकार ने सभी सवितरण फीडरों तथा सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग पहले ही पूर्ण कर ली थी। पारेषण एवं सवितरण हानियां 2007-08 तक 15.50 प्रतिशत तक कम की जानी अपेक्षित थी किन्तु यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि वर्ष 2009-10 के लिए ये हानियां 26.46 प्रतिशत थी।

1.6.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उद्यमों द्वारा अर्ध-सरकारी प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किये गये हैं, तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के अतिरिक्त इन उपक्रमों में लगाई गई पूंजी से प्रतिलाभ *अनुलग्नक 1.9* में दी गई है। यह देखा गया है कि:

- उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक राज्य सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में ₹ 3,223.28 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।
- कुल उपक्रमों में से केवल दो ने ₹ 27.73 करोड़ के निवेशित पूंजी के विरुद्ध ₹ 1.32 करोड़ का लाभ अर्जित किया जिससे 4.76 प्रतिशत के प्रतिलाभ की दर प्राप्त हुई (कृषि विभाग - कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण और मुद्रण एवं लेखन सामग्री - राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक योजना)।
- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से एक उपक्रम जो पांच वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चला (हरियाणा रोडवेज) और एक उपक्रम, जिसका नाम कृषि विभाग है (बीज डिपो योजना), ने पिछले 23 वर्षों से प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे।
- ₹ 3,177.94 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध इन तीन¹⁵ विभागीय उपक्रमों में से दो की संचित हानियां ₹ 284.30 करोड़ थी।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से भी कई को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती रही है। तालिका 1.13 31 मार्च 2011 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

¹⁵ कृषि विभाग (बीज डिपो योजना): ₹ 0.10 करोड़, खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति योजना): ₹ 153.37 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 131.30 करोड़।

तालिका 1.13: राज्य सरकार द्वारा अग्रिम दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(` करोड़ में)

ऋणों / ब्याज प्राप्तियों / उधारों की लागत की प्रमात्रा	2008-09	2009-10	2010-11	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	1,897	1,877		2,494
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	332	830	1,602	722
वर्ष के दौरान वापसी की गई राशि	352	213	228	233
अन्त शेष	1,877	2,494		2,983
जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गईं के लिये लम्बित शेष	1,877	2,494		2,983
निवल योग	(-)20	617	1,374	489
ब्याज प्राप्तियां	53	73	87	54
लम्बित ऋणों व अग्रिमों की ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता	2.81	3.34		1.97
राज्य सरकार की लम्बित राजकोषीय देयताओं के ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	7.25	6.96	8.79	7.17
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच का अन्तर (प्रतिशत)	4.44	3.62		5.20

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्तीय लेखे)

31 मार्च 2010 को ` 2,494 करोड़ की बकाया राशि के विरुद्ध 31 मार्च 2011 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ` 2,983 करोड़ था। 2010-11 में दिये गये ऋणों पर ब्याज प्राप्ति 1.97 प्रतिशत थी और 2010-11 के दौरान सरकारी उधारों पर 9.22 प्रतिशत की भारित ब्याज दर से कम थी। ऋणों एवं अग्रिमों के विरुद्ध वर्ष के दौरान प्राप्त ` 54 करोड़ का ब्याज बजटीय प्रक्षेपणों (` 87 करोड़) से काफी कम था। वर्ष के दौरान दिये गये ` 722 करोड़ में से ` 246.82 करोड़ सामाजिक सेवाओं (सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए मूलभूत संरचना विकास निधियों से ऋण), ` 286.45 करोड़ आर्थिक सेवाओं (` 223.56 करोड़ विद्युत परियोजनाओं के लिए, ` 12.31 करोड़ उद्योग एवं खनिजों के लिए तथा ` 50.41 करोड़ सहकारिता के लिए) और ` 188.60 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम दिए गए।

हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़, जो जुलाई 2002 में बंद हो गई थी, के विरुद्ध ` 176.31 करोड़ के ऋण बकाया थे। वर्ष 2010-11 के प्रारम्भ में सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ` 690.90 करोड़ का ऋण बकाया था। पिछले ऋणों की किसी वसूली के बिना इन चीनी मिलों को ` 50 करोड़ के और ऋण दिए गए थे।

जलापूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए नगर निगमों/सुधार ट्रस्टों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों (` 38.10 करोड़), {जिनके विस्तृत लेखे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ (पी.ए.जी. (ए. एण्ड ई.) में रखे गए थे} तथा ` 74.32 करोड़ के ब्याज, तालिका 1.14 में वर्णित अनुसार, 2010-11 के अन्त तक वसूली के लिए विलम्बित थे।

तालिका 1.14: विलम्बित ऋण एवं अग्रिम तथा उन पर ब्याज

(` करोड़ में)

वर्ष	मूलधन	ब्याज
2007 तक	30.24	62.86
2008-09	2.62	3.82
2009-10	2.62	3.82
2010-11	2.62	3.82
कुल	38.10	74.32

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

ऋणों, जिनके विस्तृत लेखे पी.ए.जी. (ए. एण्ड ई.) द्वारा रखे गए थे, के संबंध में 4,139 मामलों में ₹ 15.38 करोड़ के ऋणों की स्वीकृतियां सरकारी विभागों/संस्थाओं से प्रतीक्षित थी। इनमें से ₹ 12.13 करोड़ के ऋणों से आवेष्टित 24 मामलों में स्वीकृतियां 15 वर्षों से अधिक पुरानी थी जबकि शेष मामलों में स्वीकृतियां 10 से 15 वर्षों से प्रतीक्षित थी।

प्रशासनिक विभागों से ऋणों, जिनके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं, के मूलधन एवं ब्याज की वसूली में बकाये प्रत्येक वर्ष जुलाई तक पी.ए.जी. (ए. एण्ड ई.) को सूचित करने अपेक्षित हैं। 2010-11 के दौरान 14 विभागीय अधिकारियों से 219 विवरणियां देय थी जिनमें से तीन विभागों से मात्र 28 विवरणियां प्राप्त की गई थी।

1.6.6 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों में से सरकार द्वारा किये गये निवेशों को तालिका 1.15 दर्शाती है।

तालिका 1.15: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2010 को	31 मार्च 2011 को	बढ़त (+) / घटत (-)
रोकड़ शेष	493.42	376.84	(-)116.58
रोकड़ शेषों के निवेश (क से घ)	103.34	683.53	(+)580.18
क) भारत सरकार के कोषालय बिल	103.34	683.53	(+)580.18
ख) भारत सरकार सुरक्षाएं			-
ग) अन्य सुरक्षाएं			-
घ) अन्य निवेश			-
निवेशों से निर्धारित शेषों का निधिवार विघटन (क से ड.)	1,517.63	1,455.13	(-)62.50
क) शोधन निधि	387.94	523.85	(+)135.91
ख) विकास स्कीमों के लिए निधियां	0.11	0.11	-
ग) हरिजन उत्थान के लिये गांव पुनर्निर्माण निधियां	2.19	2.19	-
घ) आपदा प्रबन्ध निधि	1,067.99	864.74	(-)203.25
ड.) गारंटी विमोचन निधि	59.40	64.24	(+)4.84
ब्याज प्राप्त	25.40	40.59	(+)15.19

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्तीय लेखे)

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष ₹ 493.42 करोड़ से घटकर ₹ 376.84 करोड़ रह गया। रोकड़ शेषों में से निवेश ₹ 103.34 करोड़ से बढ़कर ₹ 683.53 करोड़ हो गया। तथापि, चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2010 को ₹ 1,517.63 करोड़ से ₹ 62.50 करोड़ तक घट कर ₹ 1,455.13 करोड़ हो गया जो मुख्यतः आपदा राहत निधि [₹ (-)203.25 करोड़] में से निवेश के कारण था। 2009-10 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 25.40 करोड़) से 2010-11 के दौरान निवेशों पर प्राप्त ₹ 40.59 करोड़ के ब्याज से ₹ 15.19 करोड़ (60 प्रतिशत) उच्चतर था।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था परन्तु 2010-11 के दौरान आठ दिन के लिए साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों को लेकर न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 670.48 करोड़ रखा गया था जिसके लिए 7.25 प्रतिशत की दर पर ₹ 1.16 करोड़ का ब्याज दिया गया था।



1.7 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं


1.7.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की बढ़त एवं बनावट

विद्यमान सरकारी लेखांकन पद्धति में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखा नहीं रखा जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2011 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2010 की सदृश स्थिति से तुलना करके **परिशिष्ट 1.5 भाग (क) एवं (ख)** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताएं मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखा और सुरक्षित निधि से प्राप्तियों से बनती हैं, परिसम्पत्तियां मुख्यतः पूंजी लागत और राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ शेषों को समाविष्ट करती हैं।

जैसा कि एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में परिभाषित किया गया है “कुल देयता” से अभिप्राय राज्य की संचित निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए गए उधारों और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं गारंटियों सहित अन्य समतुल्य दस्तावेजों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य बजट से दिये जाते हैं, को भी शामिल करेगा।

1.7.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2010 - 11 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **चार्ट 1.12 और 1.13** में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2009 - 10 में ` 39,337 करोड़ से बढ़कर 2010 - 11 में ` 46,282 करोड़ हो गई। मुख्यतः लोक ऋण (` 5,871 करोड़), अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि प्राथमिक (` 748 करोड़) और जमा (` 317 करोड़) की प्राप्ति में बढ़ोतरी के कारण 2010 - 11 के दौरान उत्पादकता दर पिछले साल के

मुकाबले 17.66 प्रतिशत थी। जी.एस.डी.पी. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई और 2006 - 07 में 0.220 प्रतिशत से घटकर 2010 - 11 में 0.180 प्रतिशत हो गया। 2010 - 11 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 1.81 गुणा और राज्य के अपने स्रोतों का 2.29 गुणा थी। वर्ष 2010 - 11 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 3,319 करोड़ (7.17 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 46,282 करोड़ की राजकोषीय देयताएं 2010 - 11 हेतु राज्य सरकार के एम.टी.एफ.पी.एस. तथा एफ.सी.पी. में प्रक्षेपित क्रमशः ₹ 44,799 करोड़ तथा ₹ 46,157 करोड़ की सीमा से उच्चतर थी (परिशिष्ट 1.6)।

सरकार ने 2002 - 03 के दौरान एक समेकित ऋण-निधि स्थापित कर ली है। पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया बाजार उधारों के एक प्रतिशत के बराबर राशि प्रत्येक वर्ष इस निधि में जमा की जाती है। 31 मार्च 2011 को ऋण-निधि में अंत शेष ₹ 525.98 करोड़ था।

1.7.3 गारंटियों- आकस्मिक देयताओं की स्थिति

उधार लेने वाले, जिनके लिये गारंटियां दी गई हैं, के दोषी हो जाने पर, गारंटियां वे देयताएं हैं जो राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक आ जाती हैं। राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर सरकार जिस सीमा के अन्तर्गत गारंटियां दे सकती है, उसके लिये संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार अधिकतम राशि, जिसके लिये राज्य द्वारा गारंटी दी गई और पिछले तीन वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका 1.16 में दी गई है।

तालिका 1.16: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2008-09	2009-10	2010-11	
			बजट अनुमान	वास्तविक
अधिकतम गारंटीड राशि	5,188	4,757	3,700	5,515
लम्बित गारंटीड राशि	4,575	4,565	3,700	4,528
कुल राजस्व प्राप्तियों की अधिकतम गारंटीड राशि की प्रतिशतता	28	23	15	22
राज्य के अपने एफ.सी.पी. के अनुसार मानदण्ड	3,400	3,200		2,500

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2010 - 11 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों की ओर कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2011 को ₹ 4,528 करोड़ की गारंटियों की बकाया राशि निगमों और बोर्डों (₹ 173 करोड़), सहकारी बैंक और समितियों (₹ 1,955 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 972 करोड़) और विद्युत (₹ 1,428 करोड़) के संबंध में थी।

कुल देयताओं में से आकस्मिक देयताओं के लिये 2003 - 04 के दौरान राज्य सरकार ने गारंटी ऋण विमोचन निधि का संघटन किया। 31 मार्च 2011 को निधि में शेष ₹ 64.24 करोड़ था। गारंटी ऋणविमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को बकाया आमन्त्रित गारंटियों का कम से कम 1/5 के बराबर राशि, वर्ष के दौरान जुड़ने वाली गारंटियों के परिणामस्वरूप आमन्त्रित होने वाली राशियों को जोड़कर राशि प्रदान करनी थी। राज्य सरकार ने निधि ₹ 4.84 करोड़ का अंशदान किया जो कि लम्बित गारंटियों का मात्र 0.11 प्रतिशत था। तथापि, 31 मार्च 2011 को ₹ 4,528 करोड़ की बकाया गारंटी वर्ष के लिये राज्य की एफ.सी.पी. में वर्ष के लिए

दिए गए ₹ 2,500 करोड़ के प्रक्षेपण से अधिक थी। 2010-11 के दौरान गारंटियों (₹ 50,810 करोड़) को शामिल करके कुल देयताएं जी.एस.डी.पी. का 19.71 प्रतिशत थी जो वर्ष हेतु एफ.सी.पी. में विचार किये गये 22.4 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त सरकार ने विद्युत क्षेत्र की सरकारी कम्पनियों के हक में ₹ 6,010 करोड़ के कुल ऋणों के लिए लैटर्स ऑफ कम्फर्ट जारी किये, जिसके विरुद्ध 31 मार्च 2011 को ₹ 4,976 करोड़ बकाया था, जिससे आकस्मिक देयताओं का सृजन हुआ। यह राशि यदि लम्बित देयताओं (₹ 55,786 करोड़) में सम्मिलित की जाए, जी.एस.डी.पी. का 21.64 प्रतिशत होगी।

1.7.4 सार्वजनिक निजी साझेदारियों में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास, जो कि आर्थिक वृद्धि स्थिर रखने के लिए पूर्वापेक्षा है, प्रदान करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना विकास की सार्वजनिक निजी साझेदार (पी.पी.पी.) प्रणाली अपनाई।

इसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने ₹ 114.94 करोड़ की कुल अनुमानित लागत सहित छः परियोजनाएं पूर्ण की (परिशिष्ट 1.10)। ₹ 64,336.58 करोड़ की अनुमानित लागत सहित 21 पी.पी.पी. परियोजनाएं (परिशिष्ट 1.11) कार्यान्वयन अधीन थी तथा 34 परियोजनाएं (परिशिष्ट 1.12) राज्य सरकार के विचाराधीन थी।

1.7.5 रिजर्व फंड के अधीन शेष

2010-11 के आरंभ में रिजर्व फंड के अधीन आरंभ शेष ₹ 1,839.94 करोड़ था। ₹ 317.04 करोड़ के जोड़ने तथा ₹ 370.61 करोड़ के सवितरण के पश्चात् ₹ 1,786.37 करोड़ के शेष सहित निधि बन्द की गई थी। इसमें से राज्य डिजास्टर रिस्पान्स फंड (आपदा राहत निधि) ₹ 1,127.96 करोड़ के शेष सहित 1 अप्रैल 2011 की शुरु की गई तथा ₹ 116.16 करोड़ की प्राप्ति एवं ₹ 319.41 करोड़ के सवितरण के पश्चात् 31 मार्च 2011 को ₹ 924.71 करोड़ पर बन्द की गई थी। सिंकिंग निधि में 2010-11 में ₹ 390.07 करोड़ का आरंभ शेष था। वर्ष के दौरान ₹ 135.91 करोड़ (₹ 105.68 करोड़: अंशदान तथा ₹ 30.24 करोड़: निवेश पर आय) प्राप्त किए गए थे किन्तु निधि से कोई सवितरण नहीं किए गए थे। निधि को ₹ 525.98 करोड़ पर बन्द किया गया था।

राज्य डिजास्टर रिस्पान्स फंड से ₹ 319.41 करोड़ का व्यय खजाने के माध्यम की बजाए कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः प्रदत्त चैकों के माध्यम से किया गया था। इसी प्रकार, ₹ 222.96 करोड़ की राशि के राज्य डिजास्टर रिस्पान्स फंड निवेश खाते के अन्तर्गत सावधि जमा प्राप्तियों की विनिवेश प्राप्ति भी खजानों के माध्यम से नहीं भेजी गई थी।

1.8 ऋण पोषण

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य के ऋण पोषण¹⁶ को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का

16. ऋण पोषण, काफी समय तक लगातार ऋण-जी.डी.पी. अनुपात कायम करने के लिये राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषणता वर्तमान या सौंपे गये दायित्व की पूर्ति के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता को बढ़ाने से मेल खानी चाहिये।

विश्लेषण करना आवश्यक है। यह खण्ड ऋण स्थिरीकरण¹⁷; गैर-ऋण प्राप्तियों¹⁸ की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों¹⁹ की निवल उपलब्धता; ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात द्वारा मापकर) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के संबंध में राज्य सरकार के ऋण का पोषण निर्धारित करता है। तालिका 1.17, 2006-07 से प्रारम्भ पांच वर्ष की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.17: ऋण स्थिरता: सूचक एवं प्रवृत्तियां

(` करोड़ में)

ऋण स्थिरता के सूचक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	6,857	4,027	(-) 1,283	(-) 5,594	(-) 17
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसधान अंतराल)	1,464	(-) 2,443	(-) 5,293	(-) 3,533	2,831
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	(-) 392	(-) 1,709	1,113	4,682	3,564
ब्याज भुगतान का भार (आई.पी./आर.आर.अनुपात)	13	12	13	13	13
राज्य ऋणों की पूर्ण होने की स्थिति (वर्षों में)					
0 - 1			1,153.46 (5)	14,930.27 (6)	3,275.07(9)
1 - 3			2,790.89 (12)	28,167.40 (12)	4,314.32(12)
3 - 5			3,892.16 (17)	29,221.95 (13)	4,431.02(13)
5 - 7			3,871.19 (17)	28,592.97 (13)	2,115.30(6)
7 - 9				29,287.36 (13)	8,401.90(24)
9-11				30,204.86 (13)	6,039.07(17)
11-13				26,336.62 (12)	1,568.11(5)
13-15				26,239.50 (12)	1,517.14(4)
15 तथा ऊपर				13,288.80 (6)	3,002.11(9)

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

ऋण स्थिरता के चार सूचकों में से राज्य ने तीन सूचकों पर अच्छा काम किया। प्रत्येक सूचक की स्थिति निम्नानुसार थी:

यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रसारित प्रमात्रा शून्य है तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। प्राथमिक घाटे सहित प्रसारित प्रमात्रा 2009-10 में (-) ` 5,594 करोड़ से 2010-11 में (-) ` 17 करोड़ तक बढ़ गई। तथापि, ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात अभी तक ऋणात्मक था। इसने इंगित

- स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर ब्याज दर या सार्वजनिक उधारों की लागत से बढ़ जाती है, ऋण-जी.डी.पी. अनुपात स्थिर रहता है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक है या संयमित ऋणात्मक है। दिये गये दर प्रसार (जी.एस.डी.पी. बढ़ोतरी दर-ब्याज दर) और प्रमात्रा प्रसार (ऋण/दर प्रसार), ऋण पोषण शर्तें बताती हैं कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार शून्य हो तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततोगत्वा स्थिर हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा, ऋणात्मक में बदल जाता है तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात वृद्धि पर होगा। इसके धनात्मक होने के मामले में, ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात अन्ततोगत्वा गिरेगा।
- राज्य की वर्धित गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत करने से है। ऋण पोषण को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर-ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।
- कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियों) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुये उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।

किया कि राज्य की ऋण स्थिरता में 2010-11 में सुधार हुआ। राज्य को ऋणों की स्थिरता के लिए आगे सुधारात्मक उपाए करने की आवश्यकता है ताकि प्रसारित प्रमात्रा जमा प्राथमिक घाटा दोनों धनात्मक बनें।

राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय के मध्य सकारात्मक स्रोत अन्तर ऋण स्थिर रखने में सरकार की क्षमता में वृद्धि इंगित करता है।

उधार ली गई निधियों से निवल निधियों की उपलब्धता स्थिति 2008-09 में ` 1,113 करोड़ से 2010-11 में ` 3,564 करोड़ हो गई। 2010-11 के दौरान सरकार ने ` 4,450 करोड़ के मार्केट ऋण लिए (` 650 करोड़ जिन पर 8.38 प्रतिशत ब्याज, ` 600 करोड़ जिन पर ` 8.52 प्रतिशत ब्याज, ` 600 करोड़ जिन पर 8.50 प्रतिशत ब्याज, ` 800 करोड़ और ` 1,000 करोड़ जिन पर क्रमशः 8.07 प्रतिशत और 8.57 प्रतिशत ब्याज था)।

2006-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगी का अनुपात लगभग स्थिर था जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किए गए 15 प्रतिशत के लक्ष्य के बराबर था।

राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा, जैसा कि तालिका 1.17 में दिया गया है, इंगित करती है कि राज्य सरकार को इसके ऋणों का एक से तीन वर्षों के मध्य 12 प्रतिशत, तीन से पांच वर्षों के मध्य 13 प्रतिशत, पांच से सात वर्षों के मध्य छः प्रतिशत और सात से नौ वर्षों के मध्य 24 प्रतिशत, नौ से 11 वर्ष के मध्य 17 प्रतिशत और 11 से 13 वर्ष के मध्य पांच प्रतिशत, 13 से 15 वर्ष के मध्य चार प्रतिशत और 15 वर्ष के बाद नौ प्रतिशत की दर से पुनर्भुगतान करना होगा जिसके लिए सरकार को आने वाले वर्षों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अपना वित्त पोषण सुधारना होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अतिरिक्त उधार, जो इन समीक्षित वर्षों में परिपक्व होने हों, नहीं लिए जाएं, सरकार द्वारा एक सुनियोजित ऋण पुनर्भुगतान योजना तैयार की जानी चाहिए।

ऊपर वर्णित सभी अनुच्छेदों का निष्कर्ष यह है कि यदि उधारों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता तो राज्य को ऋण सेवाओं में गंभीर समस्या होगी।




1.9 राजकोषीय असंतुलन

एक निश्चित समयावधि के दौरान तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने अर्थात् राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे राज्य सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखाओं में घाटा, इसके स्रोतों एवं वचनबद्धताओं के मध्य अन्तर का प्रतिनिधित्व करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की द्योतक है। आगे, वे तरीके जिनसे घाटे का वित्तपोषण किया जाता है और बनाये गये स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के आवश्यक संकेतक है। यह खण्ड, इन घाटों के वित्त पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2010-11 के लिये एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.9.1 घाटों की प्रवृत्तियां

2006 - 11 की समयावधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियां चार्ट 1.14 में प्रस्तुत है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.18: 2006 - 11 की अवधि में घाटा सूचकों की प्रवृत्तियां

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आर.डी./जी.एस.डी.पी.	0.012	0.014	(-) 0.011	(-) 0.020	(-) 0.011
एफ.डी./जी.एस.डी.पी.	0.009	(-) 0.008	(-) 0.036	(-) 0.047	(-) 0.028
पी.डी./जी.एस.डी.पी.	0.026	0.007	(-) 0.023	(-) 0.034	(-) 0.015

राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है, 2011-12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना है तथा तत्पश्चात एफ.आर.बी.एम. के अनुसार राजस्व आधिक्य उत्पन्न किया जाना है। 2006-07 तथा 2007-08 में प्राप्त किए गए आधिक्य ने 2008-09 से अधोगामी प्रवृत्ति इंगित की। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा, जो 2009-10 में क्रमशः ` 4,264 करोड़, ` 10,090 करोड़ तथा ` 7,353 करोड़ तक बढ़ गए, ने 2010-11 में कुछ सुधार दर्शाया तथा क्रमशः ` 2,746 करोड़, ` 7,258 करोड़ तथा ` 3,939 करोड़ पर स्थिर रहे।

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ` 4,571 करोड़ की वृद्धि के कारण राजस्व घाटा कम हो गया (` 1,518 करोड़)। 2009-10 में ` 5,218 करोड़ से 2010-11 में ` 4,031 करोड़ तक पूंजीगत व्यय (` 1,187 करोड़) में कमी से युग्मित राजस्व घाटे में कमी से राजकोषीय घाटे (` 2,832 करोड़) में कमी हुई जो जी.एस.डी.पी. का 2.82 प्रतिशत था तथा वर्ष के लिए एफ.सी.पी. में प्रक्षेपित तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर था। राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में कमियों के परिणामस्वरूप प्राथमिक घाटे में 2009-10 में ` 7,353 करोड़ से 2010-11 में ` 3,939 करोड़ तक कमी हुई।

राजस्व घाटा वर्ष 2010-11 के लिए एफ.सी.पी. में किए गए ` 2,047 करोड़ के प्रक्षेपणों से अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।

1.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त प्रबन्ध पद्धति

तालिका 1.19 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त प्रबन्ध पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2010-11 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त प्रबन्ध घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां तथा सवितरण तालिका 1.20 में दिए गए हैं।

तालिका 1.19: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पद्धति

(` करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजकोषीय घाटे का विघटन	(+) 1,179	(-) 1,264	(-) 6,557	(-) 10,090	(-) 7,258
1 राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	(+) 1,590	(+) 2,224	(-) 2,082	(-) 4,264	(-) 2,746
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 2,428	(-) 3,416	(-) 4,495	(-) 5,209	(-) 4,023
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(+)2,016	(-) 72	20	(-) 617	(-) 489
राजकोषीय घाटे की वित्तीय पद्धति					
1 मार्केट उधारियां	(-) 147.40	(-) 253.73	2,504.54	3,683.68	4,157.63
2 भारत सरकार ऋण	(-) 90.24	(-) 44.98	(-) 47.46	(-) 34.16	183.71
3 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष सुरक्षाएं	1,099.05	50.56	(-) 79.73	534.43	934.31
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	36.68	250.75	218.88	1,525.45	595.99
5 अल्प बचत भविष्य निधि	364.80	299.32	352.38	861.92	747.80
6 रिजर्व निधि	(-) 48.32	15.23	(-) 4.81	(-) 39.13	8.93
7 जमा एवम अग्रिम	377.70	184.72	216.62	526.64	316.66
8 सस्पेंस एवम विविध	(-) 2,496.50	21.69	3,546.38	2,785.98	(-) 635.88
9 प्रेषण	(-) 15.63	14.28	(-) 26.63	(-) 282.96	305.08
10 कुल आधिक्य (+) घाटा (-)	(-) 919.86	537.84	6,680.17	9,561.85	6614.23
11 रोकड़ शेष* में अधिक (-) कमी (+)	(-) 258.90	(+) 726.03	(-) 122.37	(+) 528.81	(+) 644.20
12 कुल राजकोषीय घाटा	(-) 1,179	1,264	6,557	10,090	7258

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

* 8999 - रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)

तालिका 1.20: 2010-11 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त प्रबन्ध घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां तथा सवितरण

(` करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्राप्तियां	सवितरण	निवल
1	मार्केट उधारियां	4,450.00	292.37	4,157.63
2	भारत सरकार से ऋण	308.27	124.56	183.71
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष सुरक्षाएं	1,312.42	378.11	934.31
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,442.51	3,846.52	595.99
5	अल्प बचत भविष्य निधि	1,964.13	1,216.33	747.80
6	जमा एवं अग्रिम	8,350.15	8,033.48	8.93
7	रिजर्व निधि	540.01	531.07	316.66
8	सस्पेंस एवं विविध	33,488.28	34,124.16	(-) 635.88
9	प्रेषण	5,360.62	5,055.54	305.08
10	कुल आधिक्य (+) घाटा (-)			6,614.23
11	रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)			(+) 644.20
12	कुल राजकोषीय घाटा			7,258

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार के उधारों और इसके संसाधन अंतर को प्रस्तुत करता है, 2009-10 में ₹ 10,090 करोड़ से घटकर 2010-11 में ₹ 7,258 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटे में कमी का कारण राजस्व घाटा (₹ 1,518 करोड़), पूंजीगत व्यय (₹ 1,187 करोड़) तथा ऋणों एवं अग्रियों का सवितरण (₹ 108 करोड़) में कमी थी। राजकोषीय घाटे की वित्त प्रबन्ध पद्धति दर्शाती है कि बाजार-उधारों (₹ 4,157.63 करोड़) में वृद्धि थी, किन्तु लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि (₹ 747.80 करोड़) तथा जमाओं एवं अग्रियों (₹ 316.66 करोड़) में कमी थी।

लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि के अन्तर्गत शेषों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि “8011-बीमा एवं पेंशन निधि, 107-राज्य सरकार कर्मचारी बीमा स्कीम” के अन्तर्गत ₹ 8.62 करोड़ के प्रतिकूल शेष थे। यह राज्य सरकार द्वारा इन निधियों पर ब्याज के असमायोजन के कारण था जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2011)।

1.9.3 घाटे/आधिक्य के गुण

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूंजी व्यय (ऋणों एवं अग्रियों सहित) में वियोजन राज्य के वित्तों में घाटे के गुण को इंगित करती है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात संकेत करता है कि किस मात्रा तक उधार ली गई निधियां वर्तमान खपत के लिये प्रयोग में लाई गई थी। आगे, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात भी संकेत करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था और उधारों (राजकोषीय देयताओं) के एक हिस्से की कोई परिसम्पत्ति पृष्ठभूमि नहीं थी। प्राथमिक घाटे का बंटवारा (तालिका 1.21) पूंजीगत व्यय, जो राज्य की वित्तप्रबन्ध की उत्पादक क्षमता को सुधारने के लिये जरूरी है, में उस मात्रा जिस तक घाटा पूंजी व्यय की वृद्धि की ओर रहा है, की ओर संकेत करता है।

तालिका 1.21 : प्राथमिक घाटा/आधिक्य-सूचकों का विघटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व ²⁰ व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2006-07	20,153	14,096	2,428	185	16,709	6,057	3,444
2007-08	19,975	15,181	3,426	286	18,893	4,794	1,082
2008-09	18,811	18,195	4,502	332	23,029	616	(-) 4,218
2009-10	21,215	22,520	5,218	830	28,568	(-) 1,305	(-) 7,353
2010-11	25,805	24,991	4,031	722	29,744	814	(-)3939

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य सरकार के पास प्राथमिक राजस्व आधिक्य घटती प्रवृत्ति में था। यह 2006-07 में ₹ 6,057 करोड़ से घटकर 2010-11 में ₹ 814 करोड़ रह गया। यह प्राथमिक व्यय (जिसमें प्राथमिक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय

²⁰ प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।

तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल होते हैं) में 2006-07 में ₹ 16,709 करोड़ से 2010-11 में ₹ 29,744 करोड़ तक वृद्धि के कारण था। विवरण इंगित करते हैं कि गैर-ऋण प्राप्तियां, प्राथमिक राजस्व व्यय को वहन करने के लिए पर्याप्त थी तथा इन प्राप्तियों का हिस्सा पूंजीगत व्यय को वहन करने के लिए उपयोग किया गया था। राज्य 2008-09 से प्राथमिक घाटा उठा रहा था जो 2010-11 के अन्त पर ₹ 3,939 करोड़ हो गया। यह इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां, प्राथमिक व्यय को आवृत्त करने के लिए उपयोग की गई थी।



1.10 निष्कर्ष

राजस्व एवं व्यय की पद्धति: कर राजस्व में 27 प्रतिशत बढ़त के कारण राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 22 प्रतिशत की बढ़त आई। 2010-11 में कर राजस्व में ते.वि.आ. के तथा एफ.सी.पी. में सरकार द्वारा किए गए प्रक्षेपणों की तुलना में क्रमशः पांच प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कमी रही किन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. में किए गए प्रक्षेपणों से दो प्रतिशत तक उच्चतर था। कर-भिन्न राजस्व ते.वि.आ. द्वारा तथा एफ.सी.पी. एवं एम.टी.एफ.पी.एस. में सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 हेतु किए गए प्रक्षेपणों से क्रमशः 71 प्रतिशत, 14 प्रतिशत तथा चार प्रतिशत कम था।

राजस्व व्यय ने वर्ष के दौरान कुल व्यय का 86 प्रतिशत संघटित किया तथा पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ गया। इसका एन.पी.आर.ई. घटक, जो ₹ 22,059 करोड़ था, ते.वि.आ. (₹ 15,790 करोड़) तथा एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 21,698 करोड़) के प्रक्षेपण से क्रमशः 40 प्रतिशत तथा दो प्रतिशत तक उच्चतर था किन्तु इसके एफ.सी.पी. (₹ 22,944 करोड़) में राज्य के प्रक्षेपण से चार प्रतिशत तक निम्नतर था। गैर-योजना राजस्व व्यय के अन्तर्गत चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पेंशन देयताएं, ब्याज भुगतान और परिदानों ने 2010-11 के दौरान लगभग 88 प्रतिशत संघटित किया। इसके अतिरिक्त, कुल परिदानों (₹ 3,285 करोड़) का 90 प्रतिशत (₹ 2,949 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए था तथा एफ.सी.पी. (₹ 3,200 करोड़) में प्रक्षेपण के भीतर था।

पूंजीगत व्यय, जिसने कुल व्यय का 12 प्रतिशत संघटित किया, भी 2009-10 की अपेक्षा 2010-11 में 23 प्रतिशत कम था।

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता (₹ 2,223.46 करोड़), जिसने 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय का आठ प्रतिशत संघटित किया, 2009-10 की तुलना में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी।

राजकोषीय सुधार: राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम पारित करने वाले शुरूआती राज्यों में से हरियाणा भी एक है। राज्य की राजकोषीय स्थिति, जो राजकोषीय मानकों में प्रवृत्तियों के संबंध में देखी जाती है, में राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे/आधिक्य ने इंगित किया कि राज्य ने 2006-07 तथा 2007-08 में आधिक्य प्राप्त किया परन्तु आधिक्य लम्बे समय तक स्थिर नहीं रह सका तथा 2008-09 से अधोमुखी प्रवृत्ति इंगित की। राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटों, जो 2009-10 में क्रमशः ₹ 4,264 करोड़, ₹ 10,090 करोड़ तथा ₹ 7,353 करोड़ तक बढ़ गए, ने 2010-11 में कुछ सुधार दर्शाया तथा क्रमशः ₹ 2,746 करोड़, ₹ 7,258 करोड़ तथा ₹ 3,939 करोड़ पर रहा।

कर्ज निर्वहन योग्यता: एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार, आकस्मिक देयताओं सहित कुल कर्ज उस

वर्ष के अनुमानित जी.एस.डी.पी. 22.4 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 2010-11 के दौरान गारंटियों एवं लैटर्स ऑफ कम्फर्ट सहित कुल देयताएं 55,786 करोड़ थीं जो जी.एस.डी.पी. का 21.63 प्रतिशत है जो एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की सीमा में था।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में हरियाणा सरकार के निवेशों पर औसत आवर्त पिछले पांच सालों में 0.04 से 0.18 प्रतिशत के मध्य रही जबकि सरकार ने इन निवेशों पर 7.43 से 9.29 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया (अनुच्छेद 1.6.3)। निवेशों का प्रमुख हिस्सा (99 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत निगमों में साम्या शेयरों में निवेश के रूप में था।

सात अक्रियाशील पी.एस.यूज थे जिनमें से दो समापनाधीन थे। अक्रियाशील पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन हेतु कार्रवाई नहीं की गई थी।

पारेषण तथा संवितरण हानियां, जो 2007-08 तक 15.50 प्रतिशत तक नीचे लाई जानी थी, अब तक ऊपर थी तथा 2009-10 की समाप्ति पर 26.46 प्रतिशत थी।

अपूर्ण परियोजनाएं: इक्कीस परियोजनाएं, जो अगस्त 2008 और फरवरी 2011 के बीच पूर्ण की जानी थी, अब तक अपूर्ण थीं। अपूर्ण परियोजनाओं (अनुच्छेद 1.6.2) का समय व्यय कम किया जाना चाहिए ताकि हरियाणा के लोगों को इन डूबी हुई लागतों का लाभ मिल सके।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से सीधे हस्तान्तरित निधियों की अवहेलना: वर्ष के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर 1,308.84 करोड़ हस्तांतरित किए जोकि गत वर्ष से 203.64 करोड़ (18 प्रतिशत) अधिक थे। चूंकि निधियां सरकारी खातों के माध्यम से नहीं दी गई थी, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को जी.ओ.आई. से निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग तथा लेखाओं के अनुरक्षण की चूक के जोखिम को बढ़ाता है। इन अभिकरणों द्वारा अनुसरित एकसमान लेखांकन प्रचलनों के अभाव में समुचित प्रलेखन मौजूद नहीं था तथा इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समयबद्ध रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।

1.11 अनुशंसाएं

- ते.वि.आ. की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटा 2011-12 तक शून्य तक लाया जाना अपेक्षित है जिसके लिए कर अनुपालन में वृद्धि, प्रशासन लागतों को कम करने, राजस्व बकायों के सुधार और अनुत्पादक व्यय कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- ऋणित निधियां यथासंभव केवल मूलभूत संरचना हेतु प्रयुक्त की जानी चाहिए और राजस्व खर्च पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों में से पूरा किया जाना चाहिए। प्राथमिक सरप्लस और शून्य राजस्व घाटे की स्थिति में वापस पहुंचने के प्रयास यथाशीघ्र किए जाने चाहिए। ऋणों का एक कलैण्डर, ताकि वित्त वर्ष के अन्त में इनका एकत्रीकरण न हो, बनाने और कर्ज देयताओं की परिपक्वता सूची बनाए जाने से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सम्भव होगा।

- राज्य सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह ऐसे निवेश करे जिसमें मूल्यों की उचित वापसी हो अन्यथा उच्च मूल्य दर पर लिए गए ऋण कम वित्तीय लाभों वाली परियोजनाओं में लगाए जाते रहेंगे। वे परियोजनाएं, जो कम खर्च परन्तु ज्यादा सामाजिक - आर्थिक प्राप्ति के लिए उचित हैं, चिह्नित की जाएं तथा उच्च लागत ऋणों के निवेश का पूर्ण औचित्य स्पष्ट होना चाहिए। राज्य पी.एस.यू.ज, जिनमें बड़े नुकसान (अनुच्छेद 1.6.3) हो रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना भी उचित होगा और उनके लिए एक पुनर्जीवन योजना परिकल्पित की जाए जो अनुकूल प्रकृति के हैं और जिन्हें व्यवहार्य बनाया जा सकता है या अपनी साम्या का विनिवेश कर बीमार यूनिटों को बंद कर दिया जाए।
- जी.ओ.आई. निधियां, जो राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती हैं, का उचित लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और अद्यतन की गई सूचना राज्य सरकार और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मान्य होनी चाहिए।